भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 535
दिनांक 6 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की कमी

535. श्री विनोद कुमार सोनकरः
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
डॉ. सुकान्त मजूमदारः
श्री भोला सिंह:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश में पशुओं की संख्या के अनुपात में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश में आवश्यक पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश में पशुओं और पशु चिकित्सकों के अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों सहित उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नए पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए निर्धारित मानदण्डों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का निजी क्षेत्र के पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख) नए पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना राज्य का विषय है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य में क्रमश: पांच और एक मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालय हैं।

(ग) पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना राज्य का विषय है, अत: पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या की आवश्यकता का निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का गठन आईवीसी अधिनियम 1984 के तहत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार पशु चिकित्सा अभ्यास को विनियमित करने के लिए किया गया है तथा केंद्र सरकार, परिषद के गठन के बाद पशु चिकित्सा महाविद्यालयों को मान्यता देती है। भारत भर में अनुमोदित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(घ) भारतीय पशु चिकित्सक व्यवसायी रजिस्टर – 2023 के अनुसार, देश में पंजीकृत पशु चिकित्सकों (आरवीपी) की संख्या 83017 है। इनमें से 7107 आरवीपी उत्तर प्रदेश राज्य में और 2661 पश्चिम बंगाल राज्य में हैं। देश में पशुओं और पशुचिकित्सकों के अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में संलग्न है।

(ङ) देश भर में पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के मानदंड, आईवीसी अधिनियम, 1984 के उपबंधों के तहत बनाए गए वीसीआई (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 पर आधारित हैं।

(च) निजी क्षेत्र के पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में सुधार के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से वीसीआई ने पशु चिकित्सा शिक्षा में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए पशु चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2016 के न्यूनतम मानकों को तैयार किया है, जिसमें भौतिक सुविधाएं, अवसंरचना और जनशक्ति आदि शामिल हैं, जिन्हें मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराया जाना है। इस प्रयोजन के लिए, आईवीसी अधिनियम की धारा 19 और 20 के उपबंधों के तहत महाविद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है और महाविद्यालयों को पूर्वोक्त विनियमों के तहत निर्धारित सभी मानकों को पूरा करना होता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने नए पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए मानक निर्धारित करने हेतु वीसीआई (पशु चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस लेने की प्रक्रिया) नियम, 2017 भी तैयार किए हैं जो निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं।

******

उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश में विश्वविद्यालयों के साथ-साथ पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची, जिसके संबंध में बी.वी.एस और ए.एच. डिग्री भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में शामिल है।

क्र.सं.	राज्य	क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	क्रमांक	महाविद्यालय का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	1.	श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, तिरुपति	1.	एनटीआर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गन्नावरम
				2.	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, प्रोददतुर
				3.	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, तिरुपति
2.	असम	2.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	4.	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गुवाहाटी
				5.	लखीमपुर पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, असम **(यह योग्यता तभी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा योग्यता होगी जब 24 जनवरी, 2024 को या उसके बाद प्रदान की जाएगी)**
3.	बिहार	3.	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना, बिहार	6.	बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
4.	छत्तीसगढ़	4.	*दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग*	7.	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय, दुर्ग
5.	गुजरात	5.	कामधेनु विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात	8.	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय, आनंद
				9.	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय, जूनागढ़
				10.	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय, नवसारी
				11.	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय, सरदार कृषिनगर
6.	हरियाणा	6.	लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार	12.	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, हिसार
				13.	अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, रोहतक **(महाविद्यालय निजी क्षेत्र के अधीन है)**
7.	हिमाचल प्रदेश	7.	सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	14.	डॉ. जी.सी. नेगी पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय,, पालमपुर
8.	जम्मू और कश्मीर	8.	शेर-ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	15.	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन संकाय, जम्मू
		9.	शेर-ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर	16.	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन संकाय, श्रीनगर, कश्मीर
9.	झारखंड	10.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	17.	रांची पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय, रांची
10.	कर्नाटक	11.		18.	पशु चिकित्सा महाविद्यालय हेब्बल, बैंगलोर

क्र.सं.	राज्य	क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	क्रमांक	महाविद्यालय का नाम
			कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बीदर	19.	पशु चिकित्सा महाविद्यालय, नंदीनगर, बीदर
				20.	पशु चिकित्सा महाविद्यालय, हासन
				21.	पशु चिकित्सा महाविद्यालय, शिमोगा
				22.	पशु चिकित्सा महाविद्यालय, गडग
11.	केरल	12.	केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पूकोटे	23.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, त्रिशूर
				24.	पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, पुकोटे
12.	मध्य प्रदेश	13.	नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	25.	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन महाविद्यालय, जबलपुर
				26.	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन महाविद्यालय, महू
				27.	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु पालन महाविद्यालय, रीवा
13.	महाराष्ट्र	14.	महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नागपुर	28.	मुंबई पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई
				29.	नागपुर पशु चिकित्सा महाविद्यालय, नागपुर
				30.	पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, परभणी
				31.	के.एन.पी. पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, सतारा
				32.	पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, उदगीर
14.	मिजोरम	15.	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	33.	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय, आइजॉल, मिजोरम
				34.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, जलुकी, पेरेन, नागालैंड
15.	ओडिशा	16.	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	35.	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय, भुवनेश्वर
16.	पुडुचेरी	17.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी	36.	राजीव गांधी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, पुडुचेरी
17.	पंजाब	18.	गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय	37.	खालसा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, अमृतसर **(महाविद्यालय निजी क्षेत्र के अधीन है)**
				38.	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, लुधियाना
18.	राजस्थान	19.	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	39.	पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकनेर
				40.	महात्मा ज्योतिबा फुले पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, चोमू, जयपुर **(महाविद्यालय निजी क्षेत्र के अधीन है)**

क्र.सं.	राज्य	क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	क्रमांक	महाविद्यालय का नाम
				41.	अपोलो पशु चिकित्सा औषधि महाविद्यालय, जयपुर **(महाविद्यालय निजी क्षेत्र के अधीन है)**
				42.	पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, जयपुर
				43.	पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, नवनिया, उदयपुर
				44.	अरावली पशु चिकित्सा महाविद्यालय, सीकर **(महाविद्यालय निजी क्षेत्र के अधीन है)**
19.	तमिलनाडु	20.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	45.	मद्रास पशु चिकित्सा महाविद्यालय, चेन्नई
				46.	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, नमक्कल
				47.	पशु चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, ओरथानाडु
				48.	पशु चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुनेलवेली
20.	तेलंगाना	21.	पी.वी. नरसिम्हा राव तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, हैदराबाद	49.	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, हैदराबाद
				50.	पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, कोरुतला
21.	त्रिपुरा	22.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	51.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, आर.के. नगर, अगरतला, त्रिपुरा
22.	उत्तर प्रदेश	23.	आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या	52.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, अयोध्या
		24.	उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो- अनुसंधान संस्थान, मथुरा	53.	पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा
		25.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली	54.	आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
		26.	सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ	55.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, मेरठ
		27.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	56.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, कृषि विज्ञान संस्थान, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बरकछा
23.	उत्तराखंड	28.	गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	57.	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, पंतनगर
24.	पश्चिम बंगाल	29.	पश्चिम बंगाल पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता	58.	पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान संकाय, कोलकाता

अनुबंध- ।।

राज्यों, वीसीआई और एएचएस द्वारा एकत्र किया गया पशु और पशु चिकित्सक का राज्य-वार अनुपात।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पशु आबादी	पंजीकृत पशु चिकित्सकों की संख्या	पशु से पशु चिकित्सक का अनुपात
1	अंडमान और निकोबार	145394	59	2464
2	आंध्र प्रदेश	34067617	5324	6399
3	अरुणाचल प्रदेश	1161428	232	5006
4	असम	18092201	3154	5736
5	बिहार	36540820	3464	10549
6	छत्तीसगढ़	15872302	1215	13064
7	चंडीगढ़	26990	13	2076
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	51688	5	10338
9	दिल्ली	360397	466	773
10	गोवा	132406	222	596
11	गुजरात	26893274	4447	6048
12	हरियाणा	7046091	2372	2971
13	हिमाचल प्रदेश	4412846	1402	3148
14	झारखंड	23614545	927	25474
15	कर्नाटक	29013412	4786	6062
16	केरल	2908657	5172	562
17	लक्षद्वीप	45697	34	1344
18	मध्य प्रदेश	40637375	3039	13372
19	महाराष्ट्र	33079818	10570	3130
20	मणिपुर	550719	561	982
21	मेघालय	2039103	433	4709
22	मिजोरम	359704	351	1025
23	नागालैंड	553803	350	1582
24	ओडिशा	18170309	2791	6510
25	पुडुचेरी	151368	535	283
26	पंजाब	7050355	4285	1645
27	राजस्थान	56800945	4853	11704
28	सिक्किम	274332	199	1379
29	तमिलनाडु	24500621	6245	3923
30	त्रिपुरा	1317892	451	2922
31	उत्तर प्रदेश	68012945	6907	9847
32	उत्तराखंड	4427089	1156	3830
33	पश्चिम बंगाल	37483238	2661	14086
34	तेलंगाना	32640639	2124	15368
35	जम्मू और कश्मीर	8325324	1057	7876
36	लद्दाख		76	7941

****